

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 22/06/2017 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में कुन्दन गेस्ट हाउस टैगोर टाउन से पुलिस चौकी अल्लापुर होते हुये मटियारा रोड रेलवे डाट पुल तक रोड पट्टियों/नालियों पर से 03 गुमटी, 29 रैम्प, 02 टीन सेड, 01 ग्रील, 04 बांस के छप्पर, ध्वस्त किया गया नगर निगम द्वारा रूपया 12000 का जुर्माना भी वसूला गया।

मटियारा रोड पर अतिक्रमण दस्ते पर आराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया जिसमें नगर निगम के 03 कर्मचारियों को चोटिल हो गये तथा पथरात में जोनल अधिकारी की गाड़ी तथा 01 बुल्डोजर को छति ग्रस्त हो गया उपस्थित पुलिस बल द्वारा दो आराजक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस कार्यवाही में एडीए से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, ए0सी0एम0 प्रथम श्री मोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी श्री आलोक मिश्रा नगर निगम से जोनल अधिकारी नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूदा रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है—

जोन संख्या-01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 04 चालान 02 नोटिस निर्गत की गयी तथा 01 निर्माण सील किया गया।

जोन संख्या-02 व 04 में जोनल अधिकारी श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 03 चालान 04 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या-03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत,शुक्ला के नेतृत्व में 04 चालान 03 नोटिस निर्गत की गयी।

इस प्रकार कुल 11 चालान 09 नोटिस निर्गत की गयी तथा 01 निर्माण सील किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक— समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

22.06.17
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क